

65

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी, रा0 म0 ग्वालियर,
प्रकरण कं.0 /17 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/शु.र/2017/4643

श्री ए. काट माधव
श्री. वी. माधव
श्री. सुख
25-11-17

- 1- नसीरखां पिता अजीमखां जाति मुसलमान, आयु 65 वर्ष
 - 2- बशीरखां पिता अजीमखां जाति मुसलमान आयु 60 वर्ष
 - 2- युनुसखां पिता बशीरखां जाति मुसलमान आयु 40 वर्ष
- निवासी ग्राम खेडामाधव तह0 बडनगर जिला उज्जैन
—आवेदकगण

विरुद्ध

घीसेखां पिता गुलखां जाति मुसलमान आयु 70 वर्ष,
निवासी ग्राम खेडामाधव तहसील बडनगर जिला उज्जैन
—अनावेदक

अ
24.11.17

निगरानी आवेदन धारा 50 भू0 रा0 सं0


न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, बडनगर
द्वारा प0 कं0 10-अ-13/2016-17 मे पारित
आदेश दिनांक 13/10/2017 से असंतुष्ट एवं क्षुब्ध होकर निगरानी ।

अ

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/4643

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-2017	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 13-10-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण उपरान्त अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूंकि तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	